आरईसी
REC
- असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

REC Limited | आर ई सी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम) / (A Government of India Enterprise)
Regd. Office: Core-4, SCOPE Complex, 7, Lodhi Road, New Delhi - 110003
Corporate Office: Plot No. I-4, Near IFFCO Chowk Metro Station, Sector-29, Gurugram - 122001 (Haryana)
Tel: +91 124 444 1300 | Website: www.recindia.nic.in
CIN : L40101DL1969GOI005095 | GST No.: 06AAACR4512R3Z3

G20 भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

एसईसी-1/187(2)/2024/1629 दिनांक: 19 मार्च, 2024

लिस्टिंग विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), **मुंबई - ४०० ०५१**	**कॉर्पोरेट संबंध विभाग,** बीएसई लिमिटेड पहली मंजिल, फिरोज जीजीभोय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, **मुंबई - ४०० ००१**
स्क्रिप कोड-RECLTD	**स्क्रिप कोड-532955**
Listing Department, National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra kurla Complex, Bandra (East), **Mumbai-400 051**	**Corporate Relationship Department,** BSE Limited 1st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, **Mumbai - 400 001**
Scrip Code-RECLTD	**Scrip Code-532955**

विषय: 19 मार्च, 2024 को आयोजित बोर्ड की बैठक के परिणाम

महोदय,महोदया,

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची III के साथ पठित विनियम 30 के प्रावधानों के अनुपालन में, यह सूचित किया जाता है कि आरईसी लिमिटेड के निदेशक मण्डल ने 19 मार्च, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ इस पर विचार किया और निम्न को मंजूरी दे दी:

1. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹10/- प्रति इक्विटी शेयर पर **तीसरे अंतरिम लाभांश की घोषणा @₹4.50/-** (केवल चार रुपये और पचास पैसे)। इसके अलावा, जैसा कि पहले बताया गया था, उक्त अंतरिम लाभांश की रिकॉर्ड तिथि **गुरुवार, 28 मार्च, 2024** है और उक्त अंतरिम लाभांश का भुगतान **17 अप्रैल, 2024** को या उससे पहले उन शेयरधारकों को किया जाएगा, जिनके नाम (क) लाभकारी स्वामियों के रूप में और इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में **28 मार्च, 2024** को कारोबारिक समय की समाप्ति पर डिपॉजिटरी द्वारा प्रस्तुत विवरण; और (ख) भौतिक शेयरों के संबंध में **28 मार्च 2024** को सदस्यों के रजिस्टर में सदस्यों के रूप में में दर्ज हैं।

   आगे सूचित किया गया है कि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, लाभांश आय शेयरधारकों के लिए कर योग्य है और आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित कंपनी को लाभांश के भुगतान के समय स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) आवश्यक है। इसे ध्यान में रखते हुए, और उपरोक्त विषय पर 7 जुलाई, 2023, 3 अगस्त, 2023 और 2 नवंबर, 2023 के हमारे पत्रों की निरंतरता में, यह एक बार फिर दोहराया जाता है कि

यदि कोई शेयरधारक चाहता है कि उसका टैक्स कम दरों पर काटा जाए या कोई कर न काटा जाए, तो उसे वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पैन, फॉर्म एल15जी/15एच और अन्य अपेक्षित दस्तावेजों की स्कैन प्रति अगर अब तक जमा नहीं की है तो **28 मार्च, 2024 को या उससे पहले** स्कैन प्रति **'virenders@alankit.com'** को तथा सीसी में **'recigr@alankit.com'** को रखकर ई-मेल के माध्यम से भेजें।

28 मार्च, 2024 के बाद या ऊपर उल्लिखित के अलावा किसी अन्य ईमेल आईडी पर भेजे जाने पर कम दरों पर कर निर्धारण/कर कटौती पर कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा।

2. **तीन अनुषंगी कंपनियों की बिक्री और हस्तांतरण:** तीन पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों की **संपूर्ण शेयरधारिता**, जो वर्तमान में आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) के पास है, जो आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है का टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित सफल बोलीदाताओं को **बिक्री और हस्तांतरण**। अन्य अपेक्षित विवरण इसके साथ अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न हैं।

3. **अनुषंगी कंपनियों का निगमन:**

क) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी), गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी ("गिफ्ट"), गांधीनगर, गुजरात में वित्त कंपनी के रूप में अनुमत गतिविधियों से निपटने के लिए **आरईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी का निगमन,** रसीद के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ख) राजस्थान आरईजेड चरण के हिस्से के रूप में भाड़ला-III पीएस से बिजली की निकासी के लिए अतिरिक्त पारेषण प्रणाली के लिए आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी) की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी के रूप में एक **परियोजना-विशिष्ट विशेष प्रयोजन वाहन** का समावेश-III योजना (20 गीगावॉट) और चयन के प्रयोजन के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से ट्रांसमिशन सेवा प्रदाता (टीएसपी) के रूप में बोलीदाता का बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) के रूप में कार्य करना

बोर्ड की बैठक सुबह 10.30 बजे शुरू हुई और दोपहर 1.10 बजे समाप्त हुई।

यह आपकी जानकारी के लिए है।

धन्यवाद,

भवदीय,

Jyoti Shubhra Amitabh

(जे. एस. अमिताभ)
कार्यकारी निदेशक और कंपनी सचिव

संलग्न: ए/ए

अनुलग्नक-I

अनुषंगी कंपनियों की बिक्री और हस्तांतरण का विवरण

क्र. सं.	विवरण	कल्लम ट्रांसको लिमिटेड	मेरठ शामली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	जलपुरा खुर्जा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
1.	पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सूचीबद्ध इकाई की ऐसी इकाई या विभाग द्वारा योगदान किए गए टर्नओवर या राजस्व या आय और निवल मूल्य की राशि और प्रतिशत।	नगण्य	नगण्य	नगण्य
2.	वह तारीख जिस दिन बिक्री के लिए समझौता किया गया है।	सफल बोलीदाताओं को उक्त एसपीवी की बिक्री और हस्तांतरण की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पूरी होने की उम्मीद है। प्रतिफल में परियोजना लागत का 1% की दर से प्रोफ़ेशनल शुल्क और व्यय की प्रतिपूर्ति शामिल है।	सफल बोलीदाताओं को उक्त एसपीवी की बिक्री और हस्तांतरण की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पूरी होने की उम्मीद है। प्रतिफल में परियोजना लागत का 0.44% प्रोफ़ेशनल शुल्क और व्यय की प्रतिपूर्ति शामिल है।	सफल बोलीदाताओं को उक्त एसपीवी की बिक्री और हस्तांतरण की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पूरी होने की उम्मीद है। प्रतिफल में 2.5 करोड़ का प्रोफ़ेशनल शुल्क (एकमुश्त) और व्यय की प्रतिपूर्ति शामिल है।
3.	बिक्री/निपटान पूरा होने की अपेक्षित तिथि।			
4.	ऐसी बिक्री/निपटान से प्राप्त प्रतिफल।			
5.	खरीदार का संक्षिप्त विवरण और क्या खरीदार प्रमोटर प्रमोटर समूह/समूह कंपनियों से संबंधित हैं। यदि हाँ, तो उसका विवरण दें।	एसपीवी का नाम: **कल्लम ट्रांसको लिमिटेड** सफल बोलीदाता का नाम**: मैसर्स इंडिग्रिड 2 लिमिटेड और इंडिग्रिड 1 लिमिटेड- कंसोर्टियम** यह उल्लेख करना उचित है कि ऊपर उल्लिखित सफल बोलीदाता, प्रमोटर और प्रमोटर समूह से संबंधित नहीं है।	एसपीवी का नाम: **मेरठ शामली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड** सफल बोलीदाता का नाम: **मैसर्स मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड** यह उल्लेख करना उचित है कि ऊपर उल्लिखित सफल बोलीदाता, प्रमोटर और प्रमोटर समूह से संबंधित नहीं है।	एसपीवी का नाम: **जलपुरा खुर्जा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड** सफल बोलीदाता का नाम: **मैसर्स द टाटा पावर कंपनी लिमिटेड** यह उल्लेख करना उचित है कि ऊपर उल्लिखित सफल बोलीदाता, प्रमोटर और प्रमोटर समूह से संबंधित नहीं है।
6.	क्या लेनदेन संबंधित पार्टी लेनदेन के अंतर्गत आएगा? यदि हां, तो क्या यह कार्य "आर्म्स लेंथ" पर किया गया है।	यह लेन-देन संबंधित पार्टी लेन-देन के दायरे में नहीं आता है।	यह लेन-देन संबंधित पार्टी लेन-देन के दायरे में नहीं आता है।	यह लेन-देन संबंधित पार्टी लेन-देन के दायरे में नहीं आता है।

7.	क्या उपक्रम की बिक्री, पट्टा या निपटान व्यवस्था योजना के बाहर है? यदि हाँ, तो एलओडीआर विनियमों के विनियम 37ए के अनुपालन सहित उसका विवरण।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
8.	क्या लेनदेन मंदी बिक्री की प्रकृति में है।	उपरोक्त बिंदु संख्या 5 में दिए गए विवरण के अनुसार सफल बोलीदाता को कल्लम ट्रांसको लिमिटेड की बिक्री और हस्तांतरण का प्रस्ताव मंदी बिक्री की प्रकृति में नहीं है। इसके अलावा, एसपीवी की बिक्री और हस्तांतरण पर विचार भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाता है।	उपरोक्त बिंदु संख्या 5 में दिए गए विवरण के अनुसार सफल बोलीदाता को मेरठ शामली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड की बिक्री और हस्तांतरण का प्रस्ताव मंदी बिक्री की प्रकृति में नहीं है। इसके अलावा, एसपीवी की बिक्री और हस्तांतरण पर विचार भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाता है।	उपरोक्त बिंदु संख्या 5 में दिए गए विवरण के अनुसार सफल बोलीदाता को जलपुरा खुर्जा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड की बिक्री और हस्तांतरण का प्रस्ताव मंदी बिक्री की प्रकृति में नहीं है। इसके अलावा, एसपीवी की बिक्री और हस्तांतरण पर विचार भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाता है।